

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 457 / जयपुर/1999-2000

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्या सागर शिक्षा समिति
रेलवे स्टेशन रोड, वस्ती जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 30 माह नवम्बर सन एक हजार नौ सौ 1999
को जयपुर में किया गया।



अशोक अग्रवाल
रजिस्ट्रार संस्थान

जयपुर